राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वॉं तल ए–विंग, आई. पी. एस्टेट नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 140
दिनांक :– 21 / 03 / 2018
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता
क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 दिल्ली में कब तक लागू हो जाएगा;	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (दिनांक 02.01.2018) के अनुसार 7 जुलाई 2018 को लागू होगा।
ख.	मानसिक चुनौतियों से ग्रस्त नागरिकों की बेहतर देखभाल और इलाज हो सके, इसके लिए इस योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना / पत्र-व्यवहार के अनुसार इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें निम्न शामिल हैं: - 1. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना / सुदृढ़ीकरण 2. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि 3. मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा का संविधान 4. राज्य सरकार द्वारा नियमों का निर्धारण इत्यादि।
ग.	दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त लोग हैं ; और	वैज्ञानिक अध्ययनों / सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 8–10 प्रतिशत सामान्य जनसंख्या में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी पायी जाती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के मुताबिक 10.6 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक रोग से ग्रसित है।
घ.	इनके इलाज और देखभाल के लिए इस समय क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?	• दिल्ली सरकार मानसिक रूप से बीमार रोगियों के इलाज और देखभाल के लिए सर्वोत्तम संभव मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। • इहबास (IHBAS) राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अलावा, RML, LHMC, GB Pant, AIIMS सहित कई केंद्रीय और राज्य सरकार के अन्तगर्त अस्पताल है, जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इनके अलावा निजी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त नर्सिंग होम एवं अस्पताल में भी यह सुविधा दी जा रही है। इहबास दिल्ली में NMHP के तहत दिल्ली के 5 जिलो में समुदाय आउटरीच क्लिनिक (DMHP) के साथ-साथ मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाई (MMHU) और मानसिक रूप से बेघर बीमार लोगों के लिए जामा मस्जिद में सेवाएं चला रहा है।

(राजीव यदुवंशी)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Raajiv Yaduvanshi
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi